वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018-फाल्गुन 18, शके 1939**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी मार्कशीट में मेरा नाम हेमन्त S/o मदनलाल था. अब मुझे हेमन्त पांचाल S/o मदनलाल के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(हेमन्त)
S/o मदनलाल.

नया नाम :

(हेमन्त पांचाल)
S/o मदनलाल,
निवासी—EWS-100/300, इन्दिरा नगर,
आगर रोड, उज्जैन (म.प्र.).

(811-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, यह सत्य कथन करता हूँ कि पूर्व में मुझे सभी दस्तावेजों तथा जन-साधारण में बहादुर मारू पुत्र कंवरलाल मारू के नाम से जाना जाता है अब सभी दस्तावेजों में मेरा नाम राजबहादुर मारू पुत्र श्री कंवरलाल मारू अंकित हो गया है. अत: अब मुझे राजबहादुर मारू पुत्र श्री कंवरलाल मारू के नाम से जाना जाये तथा जहां आवश्यक हो मेरा यह नाम अंकित किया जाये. यदि भविष्य में नाम से संबंधित कोई विवाद होता है तो उसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी मेरी होगी.

पुराना नाम :

(बहादुर मारू)

नया नाम :

(राजबहादुर मारू)
ब्राहामण पाडा वार्ड 19, श्योपुर (म.प्र.).

(772-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, सोमेन्द्र सिंह ठाकुर सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरी मार्कशीट में सोमेन्द्र सिंह नाम अंकित है, जबकि मेरे आधार कार्ड और लायसेंस में मेरा नाम सोमेन्द्र सिंह ठाकुर पिता चंदन सिंह ठाकुर अंकित है. अत: मुझे अब सोमेन्द्र सिंह ठाकुर के नाम से जाना एवं पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(सोमेन्द्र सिंह)

नया नाम :

(सोमेन्द्र सिंह ठाकुर)
पुत्र चंदन सिंह ठाकुर.

(793-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे अवयस्क पुत्र कार्तिकेय सोनी के स्कूल चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल इन्दौर के अभिलेख में भूल व त्रुटिवश पिता का नाम राकेश सोनी (Rakesh Soni) लिखा गया है. जिसे बदलकर अरूण शर्मा (Arun Sharma) कर लिया है. अत: चमेलीदेवी पब्लिक स्कूल इन्दौर में पिता राकेश सोनी के नाम के स्थान पर अरूण शर्मा (Arun Sharma) पढ़ा जावे. सो विदित होवे.

पुराना नाम :

(राकेश सोनी)
294-ए, डायमंड रेसिडेंसी, फ्लेट नं. 404,
सलीकॉन सिटी, राउ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

नया नाम :

(अरूण शर्मा)
294-ए, डायमंड रेसिडेंसी, फ्लेट नं. 404,
सलीकॉन सिटी, राउ, जिला इन्दौर (म.प्र.).

(794-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, डॉ. हेमा सिंघल (एम एस ओब्स एवं गायनिक) का विवाह 08-05-1979 को डॉ. मुन्ना लाल सिघल (एम डी मेडिसिन) के साथ सम्पन्न हुआ था. शादी से पहले मेरा नाम डॉ. हेमलता गोविल था. हिन्दू संस्कृति के अनुसार शादी के बाद डॉ हेमलता गोविल पुत्री स्व. श्री गोपाल कृष्ण गोविल माता का नाम श्रीमती ललिता गोविल, निवासी खुर्जा, जिला बुलंद शहर उ.प्र. का नाम परिवर्तित होकर डॉ. हेमा सिंघल पत्नी डॉ. श्री मुन्ना लाल सिंघल, निवासी सिंघल नर्सिग होम मिल एरिया रोड दत्तपुरा, मुरैना मध्यप्रदेश हो चुका है जब से मेरी पहचान इसी नाम से जानी जाती है.

पुराना नाम :

(हेमलता गोविल)
पुत्री स्व. श्री गोपाल कृष्ण गोविल.
निवासी-खुर्जा जिला बुलंद शहर (उ.प्र.).

नया नाम :

(हेमा सिंघल)
पत्नी डॉ. श्री मुन्ना लाल,
निवासी-सिंघल नर्सिग होम मिल एरिया,
दत्तपुरा मुरैना मध्यप्रदेश.

(795-बी.)

नाम परिवर्तन

सुल्तान सिंह उर्फ भूरे सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह, निवासी-मैहरा गाँव कुंवर बाबा मंदिर के पास शकुन्तलापुरी, ठाटीपुर है. जिन्हें क्षेत्र में भूरे सिंह के नाम से पहचाना जाता है. परन्तु उनका वास्तविक नाम सुल्तान सिंह है और उनके सभी सरकारी कार्यों एवं कागजातों में भी सुल्तान सिंह पुत्र श्री बाबू सिंह के नाम से जाना जाता है. यदि इस संबंध में किसी को कोई आपत्ति हो, तो वह सात दिन के अन्दर निम्न पते पर सम्पर्क करें.

पुराना नाम :

(भूरे सिंह)

नया नाम :

(सुल्तान सिंह)
म. सं. 25, मैहरा गाँव,
कुंवर बाबा मंदिर के पास शकुन्तलापुरी,
ठाटीपुर, ग्वालियर (मध्यप्रदेश).

(796-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्वविदित हो मेरा नाम समस्त शैक्षणिक प्रमाण-पत्र में दुर्गाप्रसाद दर्ज है. (आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, वोटर कार्ड) में मुकेश सिंह किरार दर्ज है. उक्त दोनों नाम मेरे हैं. अत: भविष्य में मुझे मुकेश सिंह किरार के नाम से जाना जावे.

पुराना नाम :

(दुर्गा प्रसाद)

नया नाम :

(मुकेश सिंह किरार)
पुत्र गिरवर सिंह किरार,
ग्राम—जौरासी, आंतरी, ग्वालियर.

(797-बी.)

CHANGE OF NAME

I, Hoshiyar Singh Rajput S/o Kalyan Singh Rajput have changed my name as Harsh Singh Rajput R/o 12, Dulai, Village Dulai, Tehsil & Dist. Vidisha (M.P.) I Shall be known as Harsh Singh Rajput in future for all intents & purposes.

Old Name:

(HOSHIYAR SINGH RAJPUT)
S/o kalyan Singh Rajput.

New Name :

(HARSH SINGH RAJPUT)
S/o Kalyan Singh Rajput.

(799-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, रामबाबू वर्मा पिता श्री कालूराम वर्मा, निवासी भोजपुर, तहसील खिलचीपुर, जिला राजगढ़ (म.प्र.) शपथपूर्वक सूचित करता हूँ कि मैं, अपना नाम रामबाबू वर्मा पिता श्री कालूराम वर्मा से परिवर्तन कर राजवीर सिंह वर्मा कर रहा हूँ और भविष्य में मुझे राजवीर सिंह वर्मा पिता श्री कालूराम वर्मा (Rajveer Singh Verma S/o Mr. Kaluram Verma) के नाम से जाना व पहचाना जाऊंगा.

पुराना नाम :	नया नाम :
(रामबाबू वर्मा)	**(राजवीर सिंह वर्मा)**
पिता श्री कालूराम वर्मा.	पिता श्री कालूराम वर्मा.

(800-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, जयकुमार ध्रुव, आयु 20 वर्ष पिता श्री अनिल कुमार ध्रुव, निवासी हाउस नं. 453, वार्ड नं. 22, एफ. सी. आई. गोदाम के पास सिंहपुर रोड, शहडोल, जिला शहडोल (म.प्र.) हूँ. वर्तमान वर्ष 2017 में पालीटेक्निक कॉलेज, शहडोल का नियमित विद्यार्थी हूँ. मेरे पिता एस.ई.सी.एल. कॉलरी में क्लर्क पद पर पदस्थ हैं, मैं अनुसूचित जनजाति (गोंड) की उपजाति ध्रुव वंशज का हूँ. मेरे पिता व दादा दौरान नौकरी शहडोल (म.प्र.) के स्थायी निवासी हो गए मेरे पिता के शहडोल आई.टी.आई उत्तीर्ण अंकसूची में त्रुटिवश अनिल कुमार ध्रुर्वे लेख हो गया, जिसके कारण मेरे पिता व मेरे परिवार तथा मेरे आधार कार्ड व 12वीं अंकसूची व अन्य दस्तावेज में सरनेम जय कुमार ध्रुर्वे पिता अनिल कुमार ध्रुर्वे लेख हो गया, उक्त त्रुटि को सुधारने के लिए मेरे द्वारा शपथ-पत्र व अन्य प्रशासकीय सरनेम सुधार कार्यवाही की जा रही है, जिसके अन्तर्गत मैं, यह घोषित करता हूँ कि मेरा नाम जय कुमार ध्रुव (JAI KUMAR DHRUV) ही पढ़ा व लिखा जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(जय कुमार ध्रुर्वे)	**(जय कुमार ध्रुव)**
पिता अनिल कुमार ध्रुर्वे.	पिता अनिल कुमार ध्रुव.

(801-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, संदेश कुमार जैन पिता स्व. कोमलचंद जैन, निवासी जेडीए स्कीम नं. 14/205, एसबीआई जोनल आफिस के पीछे, विजय नगर, जबलपुर. यह कि आज दिनांक के पूर्व मेरे समस्त महत्वपूर्ण एवं शैक्षिणक दस्तावेजों में मेरा नाम संदेश कुमार जैन पिता सनत कुमार जैन का नाम दर्ज है. यह कि स्व. कोमलचंद जैन द्वारा मुझे पंजीकृत गोदनामा दिनांक 05-05-1986 को पुत्र व्रत गोद लिया है. इस कारण से मेरा नाम संदेश कुमार जैन पिता स्व. कोमलचंद जैन के नाम से जाना जावे तथा इस नाम से मेरे आधार कार्ड एवं ड्रायविंग लायसेंस जारी किये गये हैं एवं आज दिनांक के पश्चात् अन्य महत्वपूर्ण दस्तावेजों में मेरा नाम संदेश कुमार जैन पिता स्व. कोमलचंद जैन सुधार कर लिखा, पढ़ा व जाना पहचाना जावे.

पुराना नाम :	नया नाम :
(संदेश कुमार जैन)	**(संदेश कुमार जैन)**
पिता सनत कुमार जैन.	पिता स्व. कोमलचंद जैन.

(802-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पुत्री का नाम पूर्व में ऐश गोयल था. लेकिन अब मैंने अपनी पुत्री का नाम बदलकर स्वरा गोयल रख लिया है. उसके सारे कागजात स्वरा गोयल के नाम से हैं. अब उसे स्वरा गोयल के नाम से ही जाना-पहचाना जावे.

पवन गोयल,
निवासी-सिकंदर कम्पू, बिजलीघर के पीछे,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(803-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैं, श्रीमती नीलू कैथवास पति विष्णु कैथवास, उम्र लगभग 29 वर्ष, निवासी म. नं. 4861, शीलतामाई मंदिर के पास जिला जबलपुर शादी के पूर्व के समस्त दस्तावेजों में मेरा नाम जीना खान पिता हामिद खान उल्लेख है. मेरा विवाह दिनांक 20-12-2006 को श्री विष्णु कैथवास, निवासी शीतलामाई, जबलपुर के साथ हुआ. विवाह पश्चात् मैंने अपना नाम

श्रीमती नीलू कैथवास धारण कर लिया है. जो कि मेरे शादी के बाद के अन्य दस्तावेजों में अंकित मेरा आधार कार्ड और पेन कार्ड, जो कि नीलू कैथवास के नाम से है अब भविष्य में मुझे नीलू कैथवास पति विष्णु कैथवास के नाम से जाना तथा पहचाना जावे एवं समस्त शासकीय एवं अर्द्धशासकीय अभिलेखों में मेरा नाम श्रीमती नीलू कैथवास पति श्री विष्णु कैथवास लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(जीना खान) **(नीलू कैथवास)**

(804-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम शाहीन कौसर पुत्री श्री जहूर पटेल है. शादी के पश्चात् मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, राशनकार्ड, समग्र आई. डी. में श्रीमती शाहीन रिजवान कादरी पत्नी श्री रिजवान नज्मी है. सर्विस रिकार्ड में श्रीमती शाहीन रिजवान कादरी अंकित है. अत: भविष्य में मुझे श्रीमति शाहीन रिजवान कादरी पत्नी श्री रिजवान नज्मी के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(शाहीन कौसर) **(शाहीन रिजवान कादरी)**

पुत्री श्री जहूर पटेल. पत्नी श्री रिजवान नज्मी,
निवासी- दौलतगंज, खुर्जेवाला मोहल्ला,
ग्वालियर, मध्यप्रदेश 474001.

(805-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं कीर्ती सतपाल, निवासी 200/201, इन्द्रपुरी कॉलोनी, भंवरकुंआ, इन्दौर मध्यप्रदेश ने अपना नाम परिवर्तित कर लिया है. प्रकाशन द्वारा सूचित करती हूँ कि भविष्य में समस्त उद्देश्यों के लिए मैं अपने परिवर्तित नाम श्रीमती राजवंती सतपाल पति श्री लीलाराम सतपाल के नाम से जानी एवं पहचानी जाऊंगी तथा इसी नाम से हस्ताक्षर करूंगी.

पुराना नाम : नया नाम :

(कीर्ति सतपाल) **(राजवंती सतपाल)**

(807-बी.)

CHANGE OF SURNAME

I, Bhanwar Lal Marothiya here by declare that before sometime my surname was Bhanwar Lal Mali, but I have change it Bhanwar Lal Mali to Bhanwar Lal Marothiya. So, from now my surname would be known and written as Bhanwar Lal Marothiya for all purpose.

Old Name: New Name :

(BHANWAR LAL MALI) **(BHANWAR LAL MAROTHIYA)**

113, Anil Nagar, MR-9, Indore (M.P.).

(808-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, RITESH JAIN सूचित करता हूँ कि मेरे कुछ दस्तावेजों में मेरा नाम RITESH KUMAR और कुछ में REETESH KUMAR JAIN लिखा है, अत: सभी शासकीय व अशासकीय दस्तावेजों में मेरा सही व एक समान नाम RITESH JAIN लिखा एवं पढ़ा जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(रितेश जैन)

(RITESH KUMAR/REETESH KUMAR JAIN) **(RITESH JAIN)**

(809-बी.) जैन मंदिर पहाड़ी, कटनी (मध्यप्रदेश).

CHANGE OF NAME

I, Hitherto known as BHARAT KUMAR S/O BANESINGH, resident of village kanardi, Teh.-Tarana, Dist.-Ujjain Pin 456770, have changed my name and shall hereafter be known as BHARAT PARIHAR.

It is certified that I have compiled with other legal requirements in this connection.

Old Name: New Name :

(BHARAT KUMAR) **(BHARAT PARIHAR)**

(810-B.)

जाहिर सूचना

श्री चारभुजाजी इंफ्रास्ट्रक्चर जो की एक पंजीकृत साझेदारी फर्म है, में दिनांक 21-04-2017 से श्री मनीष कुमार गर्ग पिता श्री रमेशचंद्र गर्ग, आयु 42 वर्ष, निवासी-डी-1, नारायण विहार कॉलोनी, वार्ड क्र. 02, बेल डायमंड के सामने गुलजारा, धर्मपुरी, जिला धार (म.प्र.) एवं श्री योगेश अग्रवाल पिता मदनलाल अग्रवाल, आयु 42 वर्ष, निवासी-2485 गोकुलगंजमहू, जिला इंदौर (मध्यप्रदेश) द्वारा फर्म में साझेदार के रूप में प्रवेश किया है. दिनांक 21-04-2017 से उपरोक्त दोनों फर्म में साझेदार माने जावेंगे.

वास्ते:-श्री चारभुजाजी इंफ्रास्ट्रक्चर,
(साझेदारी फर्म)
मयंक अग्रवाल,
(पार्टनर)
पता-882, हरीफाटक, महू
जिला इन्दौर (मध्यप्रदेश).

(806-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाए

न्यायालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर

ग्वालियर दिंनाक 24 फरवरी 2018/27 फरवरी, 2018

क्र./क्यू/नजूल/स्था/2015/13/2433.—श्री लाखन सिंह, भृत्य जिला कार्यालय ग्वालियर के विरुद्ध श्री एस.बी.सिंह, लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा इस आशय की शिकायत की गयी कि उनके द्वारा नजूल एन.ओ.सी, दिलाए जाने के बदले में रुपये 22,000/- लेकर भ्रष्टाचार किया गया है. उक्त शिकायत की जाँच श्रीमती भूमिजा सक्सेना, तहसीलदार नजूल से कराई गई. तहसीलदार नजूल के जाँच उपरान्त उनके पत्र क्रमांक क्यू /तह./नजूल/2015/13,दिनांक 27 नवम्बर 2015 द्वारा प्रतिवेदित किया कि (1) भृत्य लाखन सिंह के एकाउन्ट में आवेदक के पासबुक से रुपये 21000/- का लेन-देन हुआ है,(2) आवेदक की ही पासबुक से आवेदक की शिकायत की पुष्टि होती है कि रुपये 25000/- का चैक जो भृत्य लाखन सिंह ने दिया था वह चैक बाउन्स हुआ था जिसकी पेनल्टी 114/- रुपये अधिरोपित की गई है, (3) भृत्य लाखन सिंह द्वारा आवेदक को बचे हुये पैसे 1114/- वापस कर इसकी प्राप्ति कार्यालय में दी गई है जिसमें स्पष्ट है कि एनओसी नजूल कार्य के लिये आवेदक से रुपये 1000/ अतिरिक्त मॉग की गई. उक्त जाँच के दौरान आवेदक की शिकायत एवं कथन अनुसार उसे रुपये 1114/- प्राप्त हो गये हैं, (4) लाखन सिंह उपस्थिति रजिस्टर में हस्ताक्षर करने के बाद कार्यालय में सौंपे गये कार्य करने हेतु कभी भी उपस्थित नहीं रहते हैं जिसके लिए वह प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाए जाने के फलस्वरूप उन्हें कार्यालयीन आदेश क्रमांक/क्यू /नजूल/स्था/2015/13, दिनांक 01 दिसम्बर 2015 द्वारा निलंबित किया गया. श्री लाखन सिंह,भृत्य को निलंबित किए जाने के उपरान्त उनके विरुद्ध कार्यालयीन पत्र क्रमांक/क्यू /नजूल/स्था/15/13, दिनांक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा निम्नलिखित 05 आरोपों पर आरोप पत्रादि जारी किए गए.

आरोप क्रमांक-01:

यह कि आप जिला कार्यालय ग्वालियर की नजूल शाखा में भृत्य के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं. आपके विरुद्ध श्री एस.बी.सिंह,(से.नि) लेफ्टिनेंट कर्नल द्वारा दिनांक 17 नवम्बर 2015 को आयोजित जनसुनवाई में इस आशय की शिकायत प्रस्तुत की गई कि आपके द्वारा नजूल एन.ओ.सी, का कार्य कराने के लिये शिकायतकर्ता से रुपये 21000/- की मॉग की गई व शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 07 अक्टूबर 2014 को रुपये 21000/- का चैक क्रमांक: 10265 दिनांक 07 अक्टूबर 2014 आपको दिया गया जो कि शिकायतकर्ता की पासबुक एन्ट्री अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर 2014 को एस.बी.आई कलेक्ट्रेट ब्रॉच में आपके खाता क्रमांक 10554528694 में जमा होना पाया गया व आवेदक द्वारा आपको रुपये 1,000/ नगद दिये गये. उक्त प्राप्त शिकायत की जाँच श्रीमती भूमिजा सक्सेना, तहसीलदार नजूल ग्वालियर से कराई गई.

उनके द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन से यह पाया गया कि आपके द्वारा नजूल एन.ओ.सी दिलाए जाने के कार्य के एवज में भष्टाचार किया गया है. इस प्रकार आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन के विपरीत आचरण का परिचय दिया जाकर शासकीय कार्य के प्रति अपनी कर्तव्यनिष्ठा संदिग्ध बना ली है.

आरोप क्रमांक-02:

यह कि आपके द्वारा शिकायतकर्ता से नजूल एन.ओ.सी के कार्य हेतु प्राप्त की गई रिश्वत की राशि के संबंध में श्रीमती भूमिजा सक्सेना,तहसीलदार नजूल ग्वालियर द्वारा जाँच के दौरान पाया गया कि आवेदक की ही पासबुक से आवेदक द्वारा की गयी शिकायत की प्रथम दृष्टया पृष्टि होती है कि रुपये 25,000/ का चैक जो आपने आवेदक को दिया था वह चैक बाउन्स हो गया था जिसकी पुष्टि आपके द्वारा दिये गये चैक से होती है. आपके द्वारा भारतीय स्टेट बैंक जीवाजी चौक लश्कर में आपके खाता क्रमांक 10554528694 में रुपये 25000/- का पोस्ट पेटेट चैक क्रमांक: 340744, दिनांक 11 जून 2015 को शेर बहादुर सिंह के नाम से चैक जारी किया गया. उक्त चैक क्लीयरेंस हेतु श्री शेर बहादुर सिंह द्वारा दिनांक 04 सितम्बर 2015 को पंजाब नेशनल बैंक तानसेन रोड हजीरा शाखा में लगाया गया जो कि दिनांक 05 सितम्बर 2015 को बाउन्स हो गया और रुपये 114/- की पेनल्टी आवेदक पर अधिरोपित की गई थी जिसकी पुष्टि आवेदक की पासबुक से स्पष्ट परिलक्षित होती है. शिकायतकर्ता द्वारा उक्त तथ्य आपको बताये जाने के उपरान्त आपके द्वारा उन्हें रुपये 21,000 नगद में वापस कर दिये गये. उक्त आरोप से स्पष्ट है कि आपके द्वारा नजूल एन.ओ.सी के कार्य के बदले में रुपयों का लेन-देन शिकायतकर्ता से किया गया जिसकी पुष्टि उपरोक्त वर्णित तथ्यों से होती है. इससे स्पष्ट है कि आप शासकीय कार्य के प्रति कर्तव्य परायण न होकर भ्रष्ट आचरण प्रदर्शित किया गया है.

आरोप क्रमांक-03:

यह कि आपके द्वारा नजूल एन.ओ.सी कार्य कराए जाने के एवज में शिकायतकर्ता से नगद रूप में लिये गये रुपये 1000/- एवं चैक बाउन्स होने के कारण आवेदक पर बैंक द्वारा लगाई गई पेनल्टी रुपये 114/- कुल रुपये 1,114/- श्रीमती भूमिजा सक्सेना, तहसीलदार नजूल द्वारा की गयी जाँच के दौरान दिनांक 23 नवम्बर 2015 को शिकायतकर्ता को वापस की गई जिसकी प्राप्ति विधिवत की गयी. इस प्रकार स्पष्ट है कि आपके द्वारा शिकायतकर्ता से रुपये 1,000/- भी नगद एवं पैनल्टी के रुपये 114/- वापस किये गये. इससे प्रथम दृष्टया यह सिद्ध होता है कि आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में भष्ट आचरण का परिचय दिया गया है.

आरोप क्रमांक-04:

यह कि जाँच के दौरान यह भी पाया गया कि आप कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर व उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरान्त कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं व कार्यालय में उपस्थित होने के उपरान्त आपको सौपा गया कार्य सम्पादित न कर अपनी मनमर्जी व सक्षम अनुमति प्राप्त किये बिना जब चाहे तब कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं. जाँचकर्ता अधिकारी (तहसीलदार नजूल) जिला कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति का भी अवलोकन किया गया. अवलोकन उपरान्त पाया गया कि माह अक्टूबर एवं नवम्बर 15 की उपस्थिति पंजी में आपके हस्ताक्षर हैं परन्तु उक्त माह में नजूल कार्यालय में सौंपे गये कार्य करने हेतु आप शाखा में उपस्थित ही नहीं हुये थे. इस प्रकार आपके द्वारा पदीय दायित्वों के निर्वहन में अकर्मण्यता का परिचय दिया जाकर शासकीय कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित की जा रही है जो एक शासकीय सेवक होने के नाते अशोभनीय कृत्य की श्रेणी में आता है.

आरोप क्रमांक-05:

यह कि आप चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी होकर नजूल शाखा में भृत्य के पद पर पदस्थ होकर कार्यरत हैं. नजूल शाखा में श्री एस. बी. सिंह, लेफ्टिनेन्ट कर्नल के उपस्थित होने व आपसे सम्पर्क करने पर आपको चाहिए था कि आप अपने पदीय दायित्वों के प्रति सजग रहते हुए कार्यालय में उपस्थित होने वाले अगंतुकों को सही जानकारी देते हुए अपने संबंधित कर्मचारी अथवा वरिष्ठ अधिकारी से सम्पर्क करने के लिये कहा जाना चाहिये था. परन्तु आपके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत आचरण कर उन्हें गलत जानकारी देते हुए स्वयं को उनके कथनानुसार प्रभारी अधिकारी बताया जाकर उन्हें गुमराह किया गया. इस प्रकार आपने अधिकारविहीन आचरण परिलक्षित करते हुए शिकायतकर्ता से नजूल एन.ओ.सी के बदले रुपयों का आपसी लेन-देन पर भ्रष्ट आचरण का परिचय दिया जाकर अपनी भूमिका संदिग्ध बना ली है व आपके उक्त आचरण से न केवल जिला प्रशासन की छवि धूमिल हुई बल्कि जनमानस में भी अच्छा मैसेज नहीं गया.

उक्तानुसार वर्णित आरोपों से स्पष्ट है कि आपके द्वारा शासकीय कार्य के प्रति न केवल संदिग्ध आचरण का परिचय दिया गया बल्कि शासकीय कार्य कराए जाने के एवज में शिकायतकर्ता को गुमराह कर उनसे रुपयों का लेन-देन किया. इसके अलावा आप कार्यालय में उपस्थित होने के उपरान्त कार्यालय का शासकीय कार्य सम्पादित न कर बिना किसी की सक्षम अनुमति प्राप्त किये कार्यालय से गायब / अनुपस्थित हो जाते हैं व अपनी मनमर्जी से उपस्थित होते हैं. आपका सह आचरण शासकीय कार्य के प्रति लापरवाही,उदासीनता,कर्तव्यविमुख, भ्रष्ट आचरण का परिचायक होकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम 3 के अधीन उल्लंधन की श्रेणी में आता है व स्वयं को मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के अधीन दण्ड के लिये दायी बना लिया है.

2. श्री लाखन सिंह निर्लंबित भृत्य नजूल शाखा जिला कार्यालय के विरुद्ध जारी किए गए उक्त आरोप पत्रादि का उत्तर उनके द्वारा दिनांक 06 जनवरी 2016 को प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उन पर अधिरोपित आरोप अस्वीकार करते हुए बहाल किए जाने हेतु लेख किया गया. श्री लाखन सिंह द्वारा प्रस्तुत उत्तर समाधानकारक होना नहीं पाए जाने के फलस्वरूप प्रकरण के सत्यांश पर पहुॅचने के लिए उनके विरुद्ध कार्यालयीन पत्र दिनांक 16 दिसम्बर 2015 द्वारा जारी किये गये आरोप पत्रादि के आधार पर मध्यप्रदेश सिविल सेवा(वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम,1966 के नियम-14 के तहत विभागीय जाँच संस्थित की जाकर उक्त नियम के नियम 14(5) (क) के अन्तर्गत अनुविभागीय अधिकारी मुरार (पदेन) को इस प्रकरण में विभागीय जाँच अधिकारी एवं उक्त नियम के नियम 14(5) (ग) के तहत् तहसीलदार नजूल(पदेन) जिला ग्वालियर को प्रस्तुतकर्ता अधिकारी नियुक्त किया गया.

3. श्री लाखन सिंह निर्लंबित भृत्य नजूल शाखा जिला कार्यालय ग्वालियर के विरुद्ध संस्थित विभागीय जाँच में विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा विस्तृत जाँच कर प्रतिवेदन आर्डरशीट पर दिनांक 22 जनवरी 2016 को पारित किया जाकर अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष प्रस्तुत किया गया. अपचारी कर्मचारी को समक्ष में सुनवाई हेतु एवं दण्ड अधिरोपित हेतु दिनांक 24 जनवरी 2018 सायं 04:00 बजे को उपस्थित होने के लिये तिथि नियत की गयी. फलस्वरूप कार्यालयीन पत्र क्रमाक क्यू/नजूल/स्था/2018/626, दिनांक 12 जनवरी 2018 द्वारा अपचारी कर्मचारी को सूचना पत्र जारी किया गया व उन्हें दूरभाष पर भी सूचित किया गया परन्तु दिनांक 24 जनवरी 2018 को अपचारी कर्मचारी उपस्थित नहीं हुए. अपचारी कर्मचारी को दिनांक 30 जनवरी 2018 को समक्ष में उपस्थित होने के लिए दूरभाष पर सूचित किया गया. अपचारी कर्मचारी दिनांक 30 जनवरी 2018 को समक्ष में उपस्थित हुए. अपचारी कर्मचारी द्वारा जाँच प्रतिवेदन की प्रति चाही गई जो उन्हें उपलब्ध कराई जाकर दिनांक 06 फरवरी 2018 तिथी नियत की गई. दिनांक 06 फरवरी 2018 को अपचारी कर्मचारी समक्ष में उपस्थित होकर अपना जवाब प्रस्तुत किया जिसमें उन्होंने उत्तर दिया कि शिकायतकर्ता एस.बी.सिंह द्वारा ब्याज पर दिये गये 21,000/- रुपये न मिलने से दुखित होकर फर्जी शिकायत जनसुनवाई में आवेदक के विरुद्ध आरोप अधिरोपित किये गये. उक्त आरोपों पर आवेदक द्वारा अपना विस्तृत जवाब जाँच अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जिस जाँच अधिकारी द्वारा विश्वास न कर शिकायतकर्ता श्री एस.बी.सिंह का उद्देश्य 25,000/- रुपये वापिस प्राप्त करना था, जिस हेतु आवेदक द्वारा भारतीय स्टेट बैंक जीवाजी चौक लश्कर का खाता क्रमांक 10554528694 रुपये 25,000/ का पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक 340744 दिनांक 11 जून 2015 को शिकायतकर्ता को दिया. चैक बाउन्स होने पर जाँच अधिकारी द्वारा स्वत: यह मान लिया गया कि चैक एन.ओ.सी के बदले दिया गया है, जो कि पूर्णरूप से असत्य एवं रिकार्ड के विपरीत है. आवेदक एक चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है. नजूल एन.ओ.सी से उसका कोई लेना-देना नहीं है. आवेदक चतुर्थ श्रेणी (भृत्य) है, वरिष्ठ अधिकारी, तहसीलदार नजूल श्रीमती भूमिजा सक्सेना के द्वारा कार्यालय में बुलाये जाने पर और मौखिक आदेश दिये जाने पर ही आवेदक द्वारा शिकायतकर्ता को पैसे वापस किये गये .जिससे यह प्रमाणित नहीं होता है कि आवेदक द्वारा एन.ओ.सी के कार्य के बदले पैसे लिये गये. आरोप क्रमांक 4 रिकार्ड के विपरीत होकर एवं जाँच अधिकारी द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाँच की गयी है.जो स्वीकार योग्य नहीं है. आवेदक नियुक्ति दिनांक से सदैव अपने कार्य के प्रति सर्तक एंव जागरुक रहे हैं और उपस्थिति रजिस्टर पर नियमित रूप से आवेदक की उपस्थिति दर्ज है.आवेदक दोनों पैरों से विकलांग होने के बावजूद भी अपने कार्य कें प्रति सदैव कर्तव्यनिष्ठ रहा है. आवेदक पिछले 15 वर्षों से एक ही पद पर कार्य कर रहा है. आवेदक की पदोन्नति हेतु कार्यवाही न हो सके और आवेदक को पदोन्नति का कार्य नहीं मिल सके. इस हेतु जाँच अधिकारी द्वारा रिकार्ड के विपरीत जाँच की गयी है. जाँच करते समय संबंधित दस्तावेजों की प्रतिया भी जैसे-शिकायतकर्ता का आवेदक और अन्य दस्तावेज आवेदक को प्रदाय नहीं किये गये हैं. जाँच अधिकारी द्वारा आवेदक द्वारा दिये गये कथन एवं दस्तावेजी साक्ष्य जैसे कि आवेदक द्वारा 25000/- रुपये का चैक पोस्ट डेटेड था, इसलिए आवेदक पर पराक्रम विलेख अधिनियम के तहत शिकायतकर्ता श्री एस.बी.सिंह द्वारा फर्जी शिकायत की गयी. जाँच रिपोर्ट दिनांक 30 जनवरी 2018 रिकार्ड के विपरीत होकर प्रथम दृष्टया निरस्त किये जाने योग्य है. फलस्वरूप विभागीय जाँच प्रकरण में आदेश हेतु तिथि 19 फरवरी 2018 नियत की गयी.

4. उक्त विभागीय जाँच प्रकरण में श्री लाखन सिंह,निर्लंबित भृत्य नजूल शाखा जिला कार्यालय ग्वालियर के द्वारा प्रस्तुत जवाब नजूल अधिकारी का प्रतिवेदन क्रमांक 13, दिनांक 27 नवम्बर, 2015 एवं अनुविभागीय अधिकारी, (मुरार) (विभागीय जाँच अधिकारी) द्वारा प्रस्तुत जाँच प्रतिवेदन दिनांक 22 जनवरी 2016 एवं प्रकरण के संलग्न अभिलेख का अद्योपान्त अवलोकन किया गया. अवलोकन उपरान्त आरोपों के क्रम में स्थिति निम्नानुसार पायी जाती है.

4.1- आरोप क्रमांक: 1 के संबंध में अभिलेख का परीक्षण करने पर पाया गया कि शिकायतकर्ता के द्वारा आरोपी श्री लाखन सिंह से 21,000/ का चैक व 1,000 /- रुपये ऊपर से प्राप्त किये गये थे. अपचारी कर्मचारी द्वारा शिकायतकर्ता से रुपये 21,000 /- का चैक क्रमांक 10265 दिनांक 07 अक्टूबर 2014 को दिया जो शिकायतकर्ता के बैंक खाता क्रमांक 1909000300101378 की पासबुक एन्ट्री अनुसार दिनांक 09 अक्टूबर 2014 को लाखन सिंह को एस.बी.आई कलेक्ट्रेट ब्रांच में स्थानान्तरित हुए व शिकायतकर्ता द्वारा रुपये 1,000/अपचारी कर्मचारी को नगद दिए गए. इस प्रकार अपचारी कर्मचारी पर अधिरोपित आरोप क्रमांक 1 विभागीय जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन अनुसार पूर्णत: प्रमाणित हुआ है.

4.2- आरोप क्रमांक: 2 के संबंध में बैंक के अभिलेख से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा भारतीय स्टेट बैंक जीवाजी चौक लश्कर में अपने खाता क्रमांक 10554528694 में रुपये 25,000/- का पोस्ट डेटेड चैक क्रमांक 340744 दिनांक 11 जून 2015 शिकायतकर्ता श्री शेर बहादुर सिंह के नाम से चैक जारी कर उन्हें प्रदाय किया गया जो शिकायतकर्ता द्वारा दिनांक 04 सितम्बर, 2015 को पंजाब नेशनल बैंक तानसेन रोड हजीरा शाखा में क्लीयरेंस हेतु लगाया गया जो दिनांक 05 सितम्बर 2015 को बाउन्स हो गया और रुपये 114/- की पेनल्टी शिकायतकर्ता पर अधिरोपित की गयी. इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा नजूल एन.ओ.सी के कार्य के बदले में रुपयों के लेन-देन की पुष्टि अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर होती है. साक्षी आधार पर अपचारी कर्मचारी द्वारा किये गये गंभीर कृत्य की पुष्टि होती है.

4.3- आरोप क्रमांक: 3 के संबंध में स्थिति यह है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा नजूल एन.ओ.सी कार्य कराए जाने के बदले में शिकायतकर्ता से रुपये 1,000 एवं चैक बाउन्स होने के कारण रुपये 114/- की पेनल्टी लगायी गई जो अपचारी कर्मचारी द्वारा जाँचकर्ता अधिकारी के समक्ष जाँच के दौरान दिनांक 23 नवम्बर 2015 को शिकायतकर्ता को वापस किये गये. अपचारी कर्मचारी द्वारा चैक बाउन्स होने की दशा में रुपये 114/- पेनल्टी के रूप में स्वयं जाँचकर्ता अधिकारी के समक्ष दिनांक 23 नवम्बर 2015 को समक्ष में शिकायतकर्ता को वापस किया जाना इस बात की पुष्टि करता है कि अपचारी कर्मचारी पर अधिरोपित उक्त आरोप सही है.

4.4- आरोप क्रमांक: 4 के संबंध में विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित किया है कि अपचारी कर्मचारी कार्यालय में कार्यालयीन दिवस में उपस्थित होकर व उपस्थिति पंजी पर हस्ताक्षर किए जाने के उपरान्त कार्यालय छोड़कर चले जाते हैं व कार्यालय में उपस्थित होने के उपरान्त उन्हें सौंपा गया कार्य सम्पादित न कर अपनी मनमर्जी तथा सक्षम अनुमति प्राप्त किए बिना जब चाहे तब कार्यालय से अनुपस्थित हो जाते हैं. जाँचकर्ता अधिकारी द्वारा (तहसीलदार नजूल) कार्यालय में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की उपस्थिति का भी अवलोकन किया गया. अवलोकन उपरान्त पाया गया कि माह अक्टूबर एवं नवम्बर 2015 की उपस्थिति पंजी में उनके हस्ताक्षर हैं परन्तु उक्त में नजूल कार्यालय में सौपे गये कार्य करने हेतु वह शाखा में उपस्थिति ही नहीं हुए थे. विभागीय जाँच अधिकारी के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि अपचारी कर्मचारी द्वारा अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में अकर्मण्यता का परिचय दिया जाकर मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचारण) नियम,1965 के उपनियम 1,2,3 का उल्लघंन कर शासकीय कार्य के प्रति स्वेच्छाचारिता प्रदर्शित होने की दशा में स्पष्टत: अपचारी कर्मचारी पर अधिरोपित आरोप क्रमांक 4 प्रमाणित हुआ है.

4.5- आरोप क्रमांक: 5 के संबंध में विभागीय जाँच अधिकारी द्वारा प्रतिवेदित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपचारी कर्मचारी चतुर्थ श्रेणी के पद पर पदस्थ होकर भृत्य के पद पर कार्यरत है. नजूल शाखा में श्री एस.बी.सिंह,लेफ्टिनेट कर्नल के उपस्थित होने व उनसे सम्पर्क करने पर उन्हें अपने दायित्वों का परिचय देते हुए शिकायतकर्ता को सही जानकारी देना चाहिए थी. परन्तु उनके द्वारा अपने पदीय दायित्वों के विपरीत आचरण कर मिथ्या एवं भ्रामक जानकारी देते हुए शिकायतकर्ता को गुमराह किया गया. इस प्रकार अपचारी कर्मचारी द्वारा अधिकारविहिन आचरण एवं स्वयं की भूमिका को संदिग्ध बनाते हुए उत्कोच के रूप में आपसी लेन-देन कर गम्भीर कदाचरण का परिचय देते हुए मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 के नियम 12 के अनुसार उक्त कृत्य स्पष्टत: सौंपे गये कर्तव्यों का सद्भावना से पालन करने की स्थिति को छोड़कर अप्राधिकृत रूप से जानकारी दी जाना परिलक्षित हुआ है जो गम्भीर कदाचरण की श्रेणी में आता है.

5. **निष्कर्षत:** शासकीय सेवक को आरोप पदों की अवचार/कदाचार के लांछनों के विवरण दस्तावेजी साक्षिय, समस्त सुसंगत तथ्यों के आधार पर एवं मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के अनुसार उपरोक्त पद-4 कण्डिक 4.1 लगायत 4.5 प्रत्येक पद अनुसार अपचारी कर्मचारी को शासकीय हित एवं लोकहित में शासकीय सेवा में बनाए रहना उचित नहीं पाता हूँ. अत: मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण,नियंत्रण एवं अपील)नियम, 1966 के नियम 10 उपनियम 9 के तहत श्री लाखन सिंह,निलंबित भृत्य नजूल शाखा जिला कार्यालय ग्वालियर को शासकीय सेवा से पदच्युत (बर्खास्त)किया जाता है तथा उन्हें निलम्बन अवधि में भुगतान किए गए वेतन व भत्तों के अलावा किसी भी प्रकार के वेतन भत्तों की पात्रता नहीं होगी तथा निलम्बन दिनांक से पदच्युत दिनांक तक की अवधि किसी भी प्रयोजन के लिये कर्तव्य पर व्यतीत अवधि नहीं मानी जावेगी.

राहुल जैन,
(374) कलेक्टर..

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक, लोक न्यास, मण्डलेश्वर, जिला खरगौन

रा.प्र.कमांक 003/बी-113(1)/2017-18. मण्डलेश्वर, दिनांक 03 फरवरी 2018

फार्म-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री महेश पिता आत्माराम जोशी,निवासी ग्राम आसुखेड़ी मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर,जिला खरगोन मध्यप्रदेश न्यास के संस्थापक द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अत: में अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 03 फरवरी 2018 को उक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा(1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यम्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तों व्यक्तिश: अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	एनिमीयाफ्री फाउंडेशन इण्डिया. शासकीय अस्पताल के सामने बड़वाह धामनोद रोड़ महेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगौन (मध्यप्रदेश.)
चल सम्पत्ति	:	8,800/- रुपये नगद हैं.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक

यह सूचना आज दिनांक 03 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

(342)

रा.प्र.कमांक 001/बी-113(1)2017-18. मण्डलेश्वर, दिनांक 03 फरवरी 2018

फार्म-4

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा -5(2) तथा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम 1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्री रोहित मसीह पिता स्व. राबर्ट मसीह, निवासी मिशन कम्पाउंड मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर,जिला खरगोन मध्यप्रदेश न्यास का प्रबंधक न्यासी द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951(1951 का 30) की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने का निवेदन किया गया है.

अत: में अधोहस्ताक्षरकर्ता लोक न्यासों का पंजीयक मेरे न्यायालय में दिनांक 03 फरवरी 2018 को उक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा(1) के द्वारा उक्त मामलें की जांच करने को प्रस्तावित करता हूँ.

उक्त आवेदन पत्र न्यास गठन की कार्यवाही मेरे न्यायालय में प्रचलित है यदि कोई व्यक्ति या हितबद्ध पक्षकार उक्त न्यास के गठन या पंजीयन के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत करना चाहता है तो वह अपनी आपत्ति या सुझाव लिखित में इस सूचना प्रकाशन के 30 दिवस की अवधि में दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तों व्यक्तिश: अथवा वकील या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्ति/सुझाव को विचार में नहीं लिया जायेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता व सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का नाम व पता	:	युथ रिवाईवल ऐसोसिएशन, मण्डलेश्वर. तहसील महेश्वर, जिला खरगोन, मिशन कम्पाउंड मण्डलेश्वर, तहसील महेश्वर, जिला खरगोन (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक
चल सम्पत्ति	:	निरंक

यह सूचना आज दिनांक 03 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी की गई.

अवि प्रसाद,

(343) अनुविभागीय अधिकारी (रा.) एवं पंजीयक.

कार्यालय डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

प्रोफेसर हाउसिंग कोआपरेटिव सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद

क्र./परि./2017/247.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री प्रोफेसर हाउसिंग कोआपरेटिव सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएं होशंगाबाद के आदेश क्र/1012 दिनोक 29 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
4. संस्था के पूर्व अध्यक्ष द्वारा संस्था को परिसमापन में लाये जाने की सिफारिश करते हुए पंजीयन निरस्ती आवेदन किया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओं सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(344)

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

श्री राम गृह-निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.

क्र./परि./2017/248.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि श्री राम गृह-निर्माण सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएं होशंगाबाद के आदेश क्र./1011 दिनांक 29 अप्रैल, 2017 द्वारा श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने मे कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(345)

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिडिया.

क्र./परि./2017/249.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि बालाजी बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., खिडिया, तहसील सोभापुर, जिला होशंगाबाद के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण उप-पंजीयक, सहकारी सस्थाएं होशंगाबाद के आदेश क्र./2229, दिनांक 14 सितम्बर, 2017 द्वारा श्री एस. डी. परतेती, उप अंकेक्षक को प्रशासक नियुक्त किया गया था. संस्था के प्रशासक द्वारा अपने पत्र दिनांक 16 अक्टूबर, 2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
3. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(346)

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

एच. आई. एस. औद्योगिक मसाला सहकारी समिति मर्या.,

होशंगाबाद.

क्र./परि./2017/250.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि एच. आई. एस. औद्योगिक मसाला सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्र 3245 के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची को अंतिम रूप देने के लिए श्री एस. एस. पगारे, को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त

किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-11-2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(347)

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

अनन्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद.

क्र./परि./2017/251.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अनन्या क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद, पंजीयन क्र 3252 के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची में अंतिम रूप देने के लिए श्री एस. एस. पगारे, को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-11-2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओं सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ

सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(348)

होशंगाबाद, दिनांक 22 जनवरी, 2018

कारण बताओ सूचना-पत्र

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के तहत]

प्रति,

अध्यक्ष/प्रशासक/प्रबंधक,

दुर्गेवेश्वरी साख सहकारी समिति मर्या., हथवास.

क्र./परि./2017/252.—एतद् सूचना-पत्र द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि दुर्गेवेश्वरी साख सहकारी समिति मर्या., हथवास, पंजीयन क्र 2965 के संचालक मंडल का कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी भोपाल द्वारा संचालक मण्डल के निर्वाचन हेतु संस्था की सदस्यता सूची में अंतिम रूप देने के लिए श्री एस. एस. पगारे, को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था. संस्था के रजिस्ट्रीकरण अधिकारी द्वारा अपने पत्र दिनांक 02-11-2017 के द्वारा कार्यालय में यह लेख किया गया है कि संस्था द्वारा निर्वाचन हेतु सदस्यता सूची उपलब्ध नहीं करायी गयी है तथा निर्वाचन कार्य में रुचि नहीं ली जा रही है इसलिए संस्था को परिसमापन में लाया जावे. इससे यह भी स्पष्ट होता है कि-

1. संस्था अपने पंजीकृत पते पर स्थापित नहीं है.
2. संस्था ने अपने उपविधियों के प्रावधानों के अनुसार निर्धारित समयावधि में कार्य प्रारम्भ नहीं किया है तथा अकार्यशील है.
3. संस्था द्वारा निर्वाचन कराने में कोई रुचि नहीं ली गई है.
4. संस्थां ने सहकारी अधिनियम,नियम एंव संस्था की उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

उपरोक्त विवरणों से यह स्पष्ट है कि संस्था पूर्णत: अकार्यशील है तथा संस्था के सदस्य निष्क्रीय हैं एवं संस्था के कार्यों में कोई रुचि नहीं हैं. अत: क्यों न संस्था को सहकारी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जावे.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र. एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-सी, भोपाल दिनांक 26 जुलाई 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69(3) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद. यह कारण बताओ सूचना-पत्र जारी कर आपसे अपेक्षा करता हूँ कि उक्त कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के संचालक मण्डल/आमसभा में विचारार्थ रखें तथा 30 दिवस के अंदर अपना जवाब उपस्थित होकर प्रस्तुत कर निर्धारित समयावधि में आपका उत्तर प्राप्त न होने पर माना जावेगा कि संस्था प्रस्तावित कार्यवाही से सहमत है. संस्था को परिसमापन में लाने का आदेश पारित कर दिया जावेगा.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक ..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(349)

होशंगाबाद, दिनांक 05 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/318.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/720, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, घुघवासा, पंजीयन क्रमांक-2836, दिनांक 26 मई, 2005 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति, घुघवासा, पंजीयन क्रमांक-2836, दिनांक 26 मई, 2005 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(350)

होशंगाबाद, दिनांक 05 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/319.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/667, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा परिसमापन जय बीजासेन साख सहकारी समिति पडरई 2940, दिनांक 01 जून, 2007 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन जय बीजासेन साख सहकारी समिति पडरई 2940, दिनांक 01 जून, 2007 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(351)

होशंगाबाद, दिनांक 05 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/320.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन नवदुर्गा साख सहकारी समिति मर्या., गोंदलवाडा पंजीयन क्रमांक 3015, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन नवदुर्गा साख सहकारी समिति मर्या., गोंदलवाडा पंजीयन क्रमांक 3015, दिनांक 13 अक्टूबर, 2008 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(352)

होशंगाबाद, दिनांक 05 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/321.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/667, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा परिसमापन

तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी समिति ढिकवाडा पंजीयन क्रमांक 2031, दिनांक 30 मई, 2009 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तिरूपति क्रय-विक्रय सहकारी समिति ढिकवाडा पंजीयन क्रमांक 2031, दिनांक 30 मई, 2009 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(353)

होशंगाबाद, दिनांक 05 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/322.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3010, होशंगाबाद, दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के द्वारा परिसमापन शिवशक्ति साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3335, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन शिवशक्ति साख सहकारी समिति मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3335, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 05 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(354)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/5557.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., साकई पंजीयन क्रमांक 2536, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., साकई पंजीयन क्रमांक 2536, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(355)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/5558.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., चकपूरा पंजीयन क्रमांक 2535, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., चकपूरा पंजीयन क्रमांक 2535, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(356)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5559.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., बडचापडा पंजीयन क्रमांक 2505, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., बडचापडा पंजीयन क्रमांक 2505, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(357)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/5560.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., सुपलई पंजीयन क्रमांक 2528, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां

अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., सुपलई पंजीयन क्रमांक 2528, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(358)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/5561.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/142, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिलाडिया पंजीयन क्रमांक 2145, दिनांक 06 अक्टूबर, 1982 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्या., भिलाडिया पंजीयन क्रमांक 2145, दिनांक 06 अक्टूबर, 1982 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(359)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5562.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., मल्लुपूरा पंजीयन क्रमांक 2579, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., मल्लुपूरा पंजीयन क्रमांक 2579, दिनांक 05 दिसम्बर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(360)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5563.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/182, होशंगाबाद, दिनांक 30 जनवरी, 2015 के द्वारा आदर्श महिला साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3291, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री डी. एस. दुबे, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन आदर्श महिला साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3291, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(361)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5564.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/3060, होशंगाबाद, दिनांक 29 सितम्बर, 2017 के द्वारा रोजगार कामगार स. स. मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3349, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री सुधीर मोने, उप अंकेक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, रोजगार कामगार स. स. मर्या., होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 3349, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(362)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5565.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा माँ लक्ष्मी साख

सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3303, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सुश्री विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, माँ लक्ष्मी साख सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3303, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(363)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5566.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/989, होशंगाबाद, दिनांक 30 मई, 2016 के द्वारा महर्षि बाल्मिक सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3286, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत सुश्री विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक कार्यालय सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, महर्षि बाल्मिक सहकारी समिति मर्या., इटारसी पंजीयन क्रमांक 3286, दिनांक 29 अक्टूबर, 2016 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364)

होशंगाबाद, दिनांक 30 दिसम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2018/5567.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/337, होशंगाबाद, दिनांक 07 मार्च, 2015 के द्वारा परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., पीपलपुरा पंजीयन क्रमांक 2504, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत श्री बी. के. शर्मा, सहकारी निरीक्षक कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता, होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापित संस्था की लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है. इसलिये संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित प्रतीत होता है.

अतः मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं, अखिलेश कुमार निगम, डिप्टी रजिस्ट्रार सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, परिसमापन तवा विस्थापित मतस्य सहकारी समिति मर्या., पीपलपुरा पंजीयन क्रमांक 2504, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बॉडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 30 दिसम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अखिलेश कुमार निगम,
डिप्टी रजिस्ट्रार.

(365)

कार्यालय उप आयुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल

शहडोल, दिनांक 13 फरवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत]

क्र./परि./2018/146.—जिले में स्थित प्रियदर्शनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., निपनिया, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 13 अगस्त, 2002 के अकार्यशील हो जाने से संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के तहत परिसमापति किया गया. उक्त अधिनियम की धारा-70 के तहत नियुक्त परिसमापक द्वारा परिसमापित संस्था की देनदारी-लेनदारी का निपटारा किया जाकर संस्था के सदस्यों की आमसभा में सदस्यों के मत प्राप्त किये जाकर अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक सहित अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है.

परिसमापित संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थायें, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटीज अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के तहत प्रियदर्शनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., निपनिया, जिला शहडोल पंजीयन क्रमांक 1015, दिनांक 13 अगस्त, 2002 का पंजीयन निरस्त करता हूँ तथा यह भी आदेश देता हूँ कि यह संस्था इस आदेश दिनांक से विघटित समझी जावेगी और निगमित निकाय (कॉर्पोरेट बॉडी) के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 13 फरवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. परते,
उपायुक्त सहकारिता.

(367)

कार्यालय परिसमापक जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्या., खरगौन

खरगौन, दिनांक 01 दिसम्बर, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (1) सी/ग के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/17.—कार्यालय संयुक्त पंजीयक सहकारी संस्थाएं, इन्दौर, संभाग इन्दौर के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम की धारा-69 के अन्तर्गत जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्या., खरगौन को परिसमापन में लाया जाकर अधोहस्ताक्षरित अधिकारी को धारा-70(1) के अन्तर्गत संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	संस्था का नाम क्रमांक व दिनांक	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	जिला सहकारी कृषि और ग्रामीण विकास बैंक कर्मचारी सह. साख संस्था मर्या., खरगौन.	862/09-09-1992	1623/18-11-2016

सर्व-साधारण की जानकारी के लिये यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि उपरोक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध जो भी लेना-देना निकल रहा हैं. वह इस विज्ञप्ति प्रकाशित होने के 2 माह (60 दिवस) के अन्दर अपने दावे मय प्रमाण सहित संस्था के नाम के सम्मुख दर्शित परिसमापक को प्रस्तुत करें उक्त अवधि में प्रस्तुत न होने वाले दावे या स्वत्व के संबंध में बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी तथा जो भी रिकार्ड उपलब्ध होगा उसके अनुसार कार्यवाही कर संस्था के पंजीयन निरस्तीकरण की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन सक्षम अधिकारी को भेज दिया जावेगा.

यह भी प्रकाशित किया जाता है किन्हीं भी व्यक्तियों संस्था सदस्यों/भूतपूर्व सदस्यों, पदाधिकारियों के पास इस संस्था से संबंधित कोई लेखा पुस्तकें चल/अचल सम्पत्ति अन्य कोई सामान हो तो इस सूचना के प्रकाशन के 1 माह के अन्दर संबंधित परिसमापक को प्रस्तुत करें व रसीद प्राप्त करें. अवधि खत्म होने के पश्चात् किसी भी व्यक्ति के पास इस संस्था की उपरोक्त चीज होने की जानकारी मिली तो उसके विरुद्ध कानूनी कार्यवाही की जावेगी. जिसका दायित्व उसका स्वयं का होगा.

यह सूचना आज दिनांक 01 दिसम्बर, 2016 के परिसमापक के हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से जारी की गई.

डी. एस. कोसरा,

(368) परिसमापक एवं अंकेक्षण अधिकारी.

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि/2018/239.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि/89, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा जनकल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1923 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापान के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनकल्याण ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1923 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(369)

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपंज/परि/2018/240.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंज/परि/2063, दिनांक 12 अगस्त, 2015 के द्वारा जीवनदीप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 92 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापान के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री आशीष कुमार शुक्ला, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर एवं संस्था की अंकेक्षण टीप में व प्रतिवेदन में संस्था के पास कोई भूमि शेष न रहने से संस्था में अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए जीवनदीप गृह निर्माण सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 92 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(370)

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज/परि/2018/2401.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/87, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा प्रियदर्शिनी महिला

बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1718 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापान के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रियदर्शिनी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर पंजीयन क्रमांक 1718 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(371)

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज/परि/2018/242.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/84, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा माढ़ोताल मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 868 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापान के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए माढ़ोताल मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 868 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(372)

जबलपुर, दिनांक 19 जनवरी, 2018

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18(1) के अंतर्गत]

क्र./उपज/परि/2018/243.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपज/परि/83, दिनांक 06 जनवरी, 2017 के द्वारा पीताम्बर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1685 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापान के अधीन लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत परिसमापक की नियुक्ति की गई थी. संस्था के वर्तमान परिसमापक श्री राजेन्द्र यादव, सहकारी निरीक्षक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न की जाकर पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के देनदारी-लेनदारी के शून्य स्थिति विवरण पत्रक का अंकेक्षण, सहायक आयुक्त(अंकेक्षण) सहकारिता जबलपुर से कराये जाने के उपरांत परिसमापक के अंतिम प्रतिवेदन एवं लेनदारी-देनदारी का समस्त निपटारा हो जाने के आधार पर संस्था के अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं होने से संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं, जी. पी. प्रजापति, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाए जबलपुर, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-2-2010-पन्द्रह-1 सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए पीताम्बर मत्स्य उद्योग सहकारी समिति मर्या., जबलपुर, जिला जबलपुर, पंजीयन क्रमांक 1685 का पंजीयन निरस्त करता हूँ. संस्था इस आदेश की तारीख से विघटित समझी जावेगी एवं निगमित निकाय के रूप में विद्यमान नहीं रहेगी.

यह आदेश आज दिनांक 19 जनवरी, 2018 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

जी. पी. प्रजापति,

(373) सहायक पंजीयक.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 10] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 9 मार्च, 2018-फाल्गुन 18, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्राय: आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नांकित जिलों में वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.-

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील जौरा, केलारस (मुरैना), कराहल (श्योपुर), ग्वालियर, घाटीगाँव, डबरा (ग्वालियर), कोलारस (शिवपुरी), चन्देरी (अशोकनगर), कुम्भराज (गुना), निवाडी, टीकमगढ़, पलेरा, ओरछा (टीकमगढ़), गौरीहार, राजनगर, बडामल्हरा (छतरपुर), पन्ना, शाहनगर (पन्ना), रघुराजनगर, उचेहरा (सतना), सिरमौर, गुढ़ (रीवा), गोपदवनास, सिंहावल, मुझौली, चुरहट, रामपुरनैकिन (सीधी), देवसर (सिंगरौली), नागदा (उज्जैन), शाजापुर (शाजापुर), अलीराजपुर, कट्टीवाड़ा (अलीराजपुर), महू (इन्दौर), बड़वानी (बड़वानी), पुनासा (खण्डवा), नटेरन (विदिशा), बेरसिया (भोपाल), बाडी (रायसेन), बैहर (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि.मी. तक- तहसील पिछोर, खनियाधाना, नरवर (शिवपुरी), मुंगावली, अशोकनगर (अशोकनगर), आरौन (गुना), पृथ्वीपुर, जतारा, बलदेवगढ़ (टीकमगढ़), बक्सवाहा (छतरपुर), गुन्नौर (पन्ना), बीना, बण्डा, सागर, रेहली, मालथौन (सागर), हटा, तेन्दूखेडा, पटेरा (दमोह), अमरपाटन (सतना), हनुमना, रामपुरकर्चुलियान (रीवा), जैतपुर (शहडोल), जैतहरी, अनूपपुर (अनूपपुर), बाधवगढ़ (उमरिया), कुसमी (सीधी), चितरंगी (सिंगरौली), सीतामऊ (मंदसौर), पिपलौदा (रतलाम), मोमनबड़ोदिया, कालापीपल (शाजापुर), टोकखुर्द, हाटपिपल्या (देवास), धरमपुरी, डही (धार), इन्दौर (इन्दौर), सेगांव (खरगौन), पानसेमल (बड़वानी), पंधाना (खण्डवा), ब्यावरा, सारंगपुर, नरसिंहगढ़ (राजगढ़), सिंरोज, बासोदा, विदिशा, गुलाबगंज (विदिशा), बेगमगंज, सिलवानी (रायसेन), सीहोरा, मझौली (जबलपुर), गाडरवारा (नरसिंहपुर), बजाग (डिण्डौरी), केवलारी (सिवनी), लांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि.मी. तक- तहसील मुरैना (मुरैना), शिवपुरी, बदरवास (शिवपुरी), राधौगढ़, बमौरी (गुना), नौगांव, छतरपुर, लवकुशनगर (छतरपुर), अजयगढ़, पवई (पन्ना), देवरी (सागर), दमोह (दमोह), सोहागपुर, जयसिंहनगर (शहडोल), पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), पाली (उमरिया), सुवासरा, गरोठ, मल्लहारगढ़, संजीत (मन्दसौर), महिदपुर (उज्जैन), सुसनेर (आगर), सतवास (देवास), चंद्रशेखर आजाद नगर (अलीराजपुर), कुच्छी, मनावर (धार), महेश्वर (खरगौन), ठीकरी, सेंधवा, पाटी, बरला (बड़वानी), पचौर (राजगढ़), नटेरन, कुरवाई (विदिशा), नसरुल्लागंज (सीहोर), गोहरगंज (रायसेन), होशंगाबाद, बावई, पचमढ़ी, सिवनी-मालवा (होशंगाबाद),

हरदा, खिरकिया, टिमरनी (हरदा), कुण्डम (जबलपुर), डिण्डोरी (डिण्डोरी) पांढुर्णा (छिन्दवाड़ा), घंसौर (सिवनी), विरसा (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि.मी. तक- तहसील ईसागढ़ (अशोकनगर), गुना, चाचौड़ा (गुना), खुरई, गढ़ाकोटा, राहतगढ़, केसली, शाहगढ़ (सागर), पथरिया, जबेरा (दमोह), बुढार, गोहपारु (शहडोल), कोमता (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), सिंगरौली (सिंगरौली), भानपुरा, मंदसौर, श्यामगढ़, धुन्धडका, कयामपुर (मंदसौर), जावरा, आलोट, सैलाना, बाजना, ताल, रावटी, रतलाम (रतलाम), खाचरौद, तराना, घटिया, उज्जैन, बड़नगर (उज्जैन), बड़ौद, नलखेड़ा, आगर (आगर), शुजालपुर (शाजापुर), सोनकच्छ, देवास, बागली, कन्नौद, उदयनगर, खातेगाँव (देवास), जोवट, सोण्डवा, उदयगढ़ (अलीराजपुर), बदनावर, सरदारपुर, धार, गंधवानी (धार), देपालपुर, सांवेर, गोतमपुरा (इन्दौर), खरगौन, बड़वाह, गोगांवा, कसरावद, भगवानपुरा, भीकनगांव, झिरन्या (खरगौन), राजकोट, निवाली (बड़वानी), खण्डवा, हरसूद (खण्डवा), बुरहानपुर, खकनार, नेपानगर (बुरहानपुर), राजगढ़, जीरापुर, खिलचीपुर (राजगढ़), ग्यारसपुर (विदिशा), बैरागढ़ (भोपाल), सीहोर, आष्टा, इच्छावर, रेहटी, श्यामपुर, जावर, बुधनी (सीहोर), रायसेन, गेरतगंज, बरेली, उदयपुरा (रायसेन), इटारसी, सोहागपुर, पिपरिया, वनखेड़ी (होशंगाबाद), जबलपुर, पाटन (जबलपुर), नरसिंहगढ़, गोटेगाँव, करेली, तेंदूखेड़ा (नरसिंहपुर), शाहपुरा (डिण्डोरी), छिन्दवाड़ा, तामियां, परासिया, सौंसर, बिछुआ, अमरवाड़ा, चौरई, उमरेठ, मोहखेड, हर्रई, चांद, जुन्नारदेव (छिन्दवाड़ा), सिवनी, बरघाट, कुरई, लखनादोन, छपारा, धनोरा (सिवनी), बालाघाट, किरनापुर, बारासिवनी, कटंगी, लालवर्रा, परसवाड़ा, खेरलांजी (बालाघाट) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा का होना प्रतिवेदित किया गया है.

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, शाजापुर, जबलपुर, नरसिंहपुर में जुताई एवं जिला ग्वालियर में कहीं-कहीं रोपाई कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

3. बोनी.- जिला ग्वालियर एवं डिण्डोरी में कहीं-कहीं पर बोनी का कार्य चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

4. फसल स्थिति- जिला राजगढ़ व हरदा में सोयाबीन की खड़ी फसल पर कीट से प्रभावित तथा जिला सीहोर में सोयाबीन फसल पर कीट प्रकोप, पीला मैजिक रोग, जिला होशंगाबाद में मूंग, उड़द, सोयाबीन में कीटों से 15 प्रतिशत में 20 प्रतिशत तक प्रभाव, जिला छिन्दवाड़ा में सोयाबीन फसल पर कीट प्रकोप से 30 प्रतिशत से 40 प्रतिशत छति की संभावना एवं जिला सिवनी में सोयाबीन फसल पीला मैजिक रोग से प्रभावित होना प्रतिवेदित किया गया है.

5. कटाई.- जिला टीकमगढ़, दमोह व सीधी में उड़द, मूंग, जिला शाजापुर व धार में सोयाबीन की कटाई एवं सागर, उज्जैन, राजगढ़ में कटाई कहीं-कहीं चालू होना प्रतिवेदित किया गया है.

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, टीकमगढ़, सागर, सतना, शहडोल, मंदसौर, शाजापुर, झाबुआ व बड़वानी, भोपाल, सीहोर, होशंगाबाद, हरदा, जबलपुर व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी अपर्याप्त तथा शेष जिलों में पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषजनक होना प्रतिवेदित किया गया है.

8. चारा.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं के लिए चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

9. बीज.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध होना प्रतिवेदित किया गया है.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	49.8				
4. जौरा	8.0				
5. कैलारस	8.0				
6. सबलगढ़	. .				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. कराहल	11.0		तुअर, तिल, सोयाबीन,उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. विजयपुर	. .		मूँग, ग्वार समान.		
4. वीरपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बडोदा	. .				
3. *जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. रौन/मिहोना	. .				
7. गोरमी	. .				
8. मौ	. .				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	0.3	बोनी कार्य चालू है.	4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	8.1	रोपाई कार्य चालू है.	(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. चिनोर	. .				
5. घाटीगांव	8.0				
5. *जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. दतिया	. .		(2) . .		
3. इन्दरगढ़	. .				
4. बढौनी	. .				
5. भाण्डेर	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6.जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	42.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	28.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	30.0				
4. नरवर	28.0				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	9.0				
7. पोहरी	. .				
8. बैराढ़	. .				
9. बदरवास	35.0				
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मुँगावली	22.0		4. (1) उड़द, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	59.0		सोयाबीन, गन्ना कम.	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	33.0		(2) . .		
4. चन्देरी	8.0				
5. नई सराय	. .				
6. पिपरई	. .				
7. शाढौरा	. .				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	61.3		4. (1) सोयाबीन, उड़द, मक्का, मूँग	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	40.0		सामान्य.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	47.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	22.0				
5. चाचौड़ा	95.0				
6. मकसूदनगढ़	. .				
7. कुम्भराज	2.0				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. फसल मूंग, उड़द की	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	8.0	कटाई का कार्य चालू है.	4. (1) चना, तिल अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	25.0		ज्वार, मूँग, उड़द, मूँगफली,	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	26.0		सोयाबीन, अरहर कम.		
4. टीकमगढ़	5.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. बल्देवगढ़	30.0				
6. पलेरा	12.0				
7. खरगापुर	. .				
8. मोहनगढ़	. .				
9. लिधौरा	. .				
10. ओरछा	7.0				
10. जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लोण्डी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	3.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	49.2				
4. छतरपुर	37.0				
5. राजनगर	11.4				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामल्हरा	16.6				
8. महाराजपुर	. .				
9. चंदला	. .				
10. धुवारा	. .				
11. लवकुश नगर	40.0				
12. बक्सवाहा	25.4				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अजयगढ़	44.4		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	14.3		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	22.6				
4. पवई	40.0				
5. रेपुरा	. .				
6. अमानगंज	. .				
7. देवेन्द्र नगर	. .				
8. सिमरिया	. .				
9. शाहनगर	17.2				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	19.6		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, कोंदो, उड़द, मूंग, अरहर, तिल, मूंगफली, सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	69.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बण्डा	24.0				
4. सागर	27.8				
5. रेहली	25.2				
6. देवरी	45.0				
7. गढ़ाकोटा	74.0				
8. राहतगढ़	55.0				
9. केसली	69.0				
10. मालथोन	31.2				
11. शाहगढ़	66.0				
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. फसल उड़द व मूंग की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	30.0		4. (1) गन्ना, सोयाबीन, धान, मूँग, उड़द, तुअर, ज्वार, मक्का, तिल, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई है.		
3. दमोह	44.0				
4. पथरिया	74.0				
5. जवेरा	87.0				
6. तेन्दूखेड़ा	26.6				
7. पटेरा	32.0				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	3.7		4. (1) तुअर, तिल, सोयाबीन, उड़द, मूँग, कोंदो-कुटकी, धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, रामतिल, मूँगफली.	6. संतोषप्रद चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	17.0				
6. अमरपाटन	25.0				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. कोठर	. .				
10. बिरसिंहपुर	. .				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	36.0		4. (1) धान, सोयाबीन कम. उड़द, मूँग, तुअर, ज्वार, कोंदो अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	3.6		(2) सोयाबीन, उड़द, मूंग बिगड़ी शेष फसले समान.		
3. मऊगंज	44.0				
4. हनुमना	30.5				
5. हजूर	45.3				
6. गुढ़	5.0				
7. मनगवां	. .				
8. सेमरिया	. .				
9. जवा	. .				
10. नईगढ़ी	. .				
11. रायपुरकर्चुलियान	19.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	38.0		4. (1) धान, मक्का, कोंदो, अरहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		उड़द, तिल अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. जैसिंहनगर	35.0		सोयाबीन समान.		
4. बुढ़ार	111.4		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
5. गोहपारू	54.0				
6. जैतपुर	27.0				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	32.8		4. (1) मक्का अधिक, धान,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	22.9		सोयाबीन, तुअर, तिल,कोंदो-	चारा पर्याप्त.	
3. कोतमा	61.1		समान.		
4. पुष्पराजगढ़	49.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	19.8		4. (1) धान, मक्का, कोदों-कुटकी,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पाली	46.5		उड़द, अरहर तिल.	चारा पर्याप्त.	
3. चंदिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
4. नौरोजाबाद	. .				
5. मानपुर	152.0				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गोपदवनास	14.2	उड़द तथा मूंग की कटाई	4. (1) धान, तुअर, तिल, उड़द, मूंग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	17.2	कहीं-कहीं पर चालू है.	ज्वार, मक्का समान है.	चारा पर्याप्त.	
3. मझौली	12.8		(2) उपरोक्त फसलें समान है.		
4. कुसमी	18.0				
5. चुरहट	3.0				
6. बहरी	. .				
7. रामपुरनैकिन	15.6				
20. जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	22.1		4. (1) मक्का, उड़द, ज्वार, राहर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. देवसर	4.6		कोदों, तिल धान कम है.	चारा पर्याप्त.	
3. सरई	. .		(2) मक्का, धान बिगड़ी हुई है.		
4. माडा	. .		शेष फसलें समान हैं.		
5. सिंगरौली	82.1				
21. जिला मंदसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासराटप्पा	45.1		4. (1) सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	97.8		(2) सोयाबीन सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. मल्हारगढ़	40.0				
4. गरोठ	42.4				
5. मंदसौर	56.0				
6. श्यामगढ़	178.0				
7. सीतामऊ	34.6				
8. दलोदा	. .				
9. धुंधड़क्का	71.0				
10. संजीत	35.0				
11. कयामपुर	89.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
22. *जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जावद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. सिंगौली	. .				
4. जीरन	. .				
5. रामपुर	. .				
6. मनासा	. .				
23. जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	103.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	119.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	57.0				
4. बाजना	100.0				
5. ताल	76.6				
6. रावटी	112.6				
7. पिपलोदा	33.0				
8. रतलाम	67.4				
24. जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. कटाई कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	103.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम. मक्का, उड़द, तुअर, मूंग, मूंगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	50.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. तराना	71.0				
4. घटिया	82.0				
5. उज्जैन	75.0				
6. बड़नगर	74.0				
7. नागदा	16.0				
25. जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़ौद	65.0		4.(1) सोयाबीन, मक्का कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	49.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. नलखेड़ा	70.6				
4. आगर	55.0				
26. जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू है. सोयाबीन की कटाई चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मोमन बड़ोदिया	30.0		4.(1) मक्का, लाल, तुअर, उड़द, मूंग.अधिक. सोयाबीन, ज्वार कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	9.2		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. शुजालपुर	60.0				
4. कालापीपल	30.0				
5. पोलाय कलां	. .				
6. अबंतीपुर बडौदिया	. .				
7. गुलाना	19.0				
27. जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	76.0		4.(1) ज्वार, मक्का, तुअर, उड़द, मूंग, तिल अधिक. सोयाबीन, कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	22.0		(2) उपरोक्त फसलें समान हैं.		
3. देवास	82.0				
4. बागली	76.0				
5. कन्नोद	72.0				
6. हाटपिपल्या	32.0				
7. सतवास	48.0				
8. उदयनगर	87.0				
9. खातेगांव	90.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
28. जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) मक्का, धान, उड़द, सोयाबीन, कपास, मूँगफली तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .				
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधारी हुई.		
5. राणापुर	. .				
29. जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	77.4		4. (1) मक्का, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	5.0				
3. कट्टीवाड़ा	17.0				
4. सोंडवा	98.0		(2) उपरोक्त फसलें सुधारी हुई.		
5. उदयगढ	55.6				
6. चन्द्रशेखर आ. नगर	47.4				
7. भामरा	. .				
30. जिला धार :	मिलीमीटर	2. फसल सोयाबीन की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बदनावर	66.6		4. (1) मक्का, कपास, गन्ना अधिक. सोयाबीन कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	120.0				
3. धार	74.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. कुक्षी	49.5				
5. मनावर	47.0				
6. धरमपुरी	20.0				
7. गंधवानी	70.0				
8. डही	27.0				
31. जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	55.0		4. (1) तुअर कम. ज्वार, मक्का, उड़द, मूंगमोठ, मूँगफली अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	92.0				
3. इन्दौर	30.2				
4. गौतमपुरा	71.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	7.0				
32. जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	85.0		4. (1) कपास अधिक. धान, ज्वार, मक्का, बाजरा, तुअर, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	42.2				
3. सेगांव	21.0				
4. खरगौन	83.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. गोगावां	76.3				
6. कसरावद	64.0				
7. भगवानपुरा	175.8				
8. भीकनगांव	132.0				
9. सनावद	. .				
10. झिरन्या	62.4				
33.जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	12.2		4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ठीकरी	51.0				
3. राजकोट (राजपुर)	90.0		(2) कपास कम. शेष फसलें अधिक.		
4. सेंधवा	42.0				
5. पानसेमल	34.0				
6. पाटी	43.0				
7. अंजड	. .				
8. बरला	50.0				
9. निवाली	94.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
34. जिला खण्डवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खण्डवा	125.0		4. (1) सोयाबीन, ज्वार, उड़द, मूंगफली कम. मक्का, तुअर, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पुनासा	15.0				
3. खालवा	. .				
4. पंधाना	18.0		(2)सोयाबीन, उड़द, बिगड़ी शेष समान.		
5. हरसूद	68.0				
35. जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	89.2		4. (1) तुअर कम. मूँगफली, कपास मूंग, उड़द.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खकनार	189.4				
3. नेपानगर	171.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
36. जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीड़ो का प्रकोप है. कटाई कार्य कहीं-कहीं चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. राजगढ़	79.6		4. (1) मक्का, सोयाबीन अधिक. धान, ज्वार, अरहर, उड़द, मूंग, मूँगफली कम. तिल.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जीरापुर	67.1				
3. खिलचीपुर	56.0				
4. ब्यावरा	33.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. सारंगपुर	19.8				
6. पचोर	37.0				
7. नरसिंहगढ़	31.0				
37. जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	44.0		4. (1)सोयाबीन, मक्का, मूंग समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	26.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. कुरवाई	36.7				
4. बासोदा	26.8				
5. नटेरन	16.0				
6. विदिशा	32.7				
7. गुलाबगंज	20.0				
8. समसाबाद	. .				
9. त्योंदा	. .				
10. पठारी	. .				
11. ग्यारसपुर	64.0				
38. जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	5.2		4. (1) सोयाबीन, मूँग, उड़द, ज्वार, मक्का, धान, सन, चरी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .				
3. बैरागढ़	87.3		(2) उपरोक्त फसलें सामान.		
39. जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीट प्रकोप पीला मैजिक एवं बाझपन की शिकायत कुछ-2 जगह प्राप्त हो रही है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	97.0		4. (1) धान, सोयाबीन, मक्का, ज्वार, उड़द, मूंग, गन्ना, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	101.0				
3. इच्छावर	145.0				
4. नसरूल्लागंज	45.0		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुई.		
5. रेहटी	98.1				
6. श्यामपुर	87.0				
7. जावर	55.7				
8. बुधनी	67.0				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	69.0		4. (1) धान, सोयाबीन, तुअर, मक्का उड़द, मूँग, मूँगफली, तिल ज्वार.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	69.0				
3. बेगमगंज	30.0				
4. गोहरगंज	47.0		(2) उपरोक्त फसलें समान्य.		
5. बरेली	60.0				
6. सिलवानी	19.8				
7. बाड़ी	1.5				
8. सुल्तानपुर	. .				
9. उदयपुरा	90.0				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बैतूल	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भैंसदेही	. .		(2) . .		
3. घोड़ाडोंगरी	. .				
4. शाहपुर	. .				
5. चिचोली	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. पीला मैजिक एवं कीट के कारण मूंग, उड़द, सोयाबीन फसले 15% से 20% प्रभावित हैं.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. होशंगाबाद	49.2		4. (1) मूँगमोठ, तुअर सोयाबीन कम. उड़द अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिवनी मालवा	43.5				
3. बावई	39.0		(2) तुअर समान. उपरोक्त शेष फसले बिगड़ी हुई.		
4. इटारसी	57.6				
5. सोहागपुर	91.0				
6. पिपरिया	96.8				
7. बनखेड़ी	178.6				
8. डोलरिया	. .				
9. पचमढ़ी	51.0				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. अल्प वर्षा से खड़ी फसलों पर आंशिक कीट का प्रभाव है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	50.0		4. (1) सोयाबीन कम.उड़द, मूँग, मक्का अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	37.6				
3. सिराली	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. रेहटगांव	. .				
5. हंडिया	. .				
6. टिमरनी	49.8				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई कार्य चालू.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जबलपुर	67.0		4. (1) धान, मक्का, तुअर, सोयाबीन कम. उड़द, मूंग अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कुण्डम	49.0				
3. सीहोरा	25.8				
4. पाटन	61.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. मझौली	28.2				
6. शाहपुरा	. .				
7. पनागर	. .				
45. *जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बहोरीबंद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ढीमरखेड़ा	. .		(2) . .		
3. रीठी	. .				
4. बड़वारा	. .				
5. मुड़वारा (कटनी)	. .				
6. विजयराघवगढ़	. .				
7. बरही	. .				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. नरसिंहपुर	128.0		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गोटेगांव	55.0		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. करेली	80.0				
4. गाडरवारा	21.0				
5. तेंदूखेड़ा	68.0				
47. *जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. मण्डला	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. नैनपुर	. .		(2) . .		
3. बिछिया	. .				
4. निवास	. .				
5. नारायणगंज	. .				
6. घुघरी	. .				
48. जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	50.2		4.(1) मक्का, धान, सोयाबीन,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	59.0		कोंदों, कटकी, तुअर, उड़द,	चारा पर्याप्त.	
3. बजाग	20.2		रामतिल समान.		
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
49. जिला छिंदवाड़ा :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पर कीडों के	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिंदवाड़ा	87.4	प्रकोप से 30% से 40%	4. (1) धान, मूंगफली समान. मक्का	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. तामिया	72.0	क्षति होने की संभावना	अधिक. सोयाबीन कम.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	98.2	है.	(2) मक्का, धान, अधिक.		
4. जामई	. .		सोयाबीन, मूंगफली बिगड़ी		
5. सोसर	99.4		हुई.		
6. बिछुआ	128.9				
7. अमरवाड़ा	83.6				
8. चौरई	187.4				
9. उमरेठ	66.2				
10. मोहखेड	174.0				
11. हर्रई	97.6				
12. चांद	111.6				
13. जुन्नारदेव	64.7				
13. पांढुर्णा	50.2				
50. जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. सोयाबीन पीला मैजिक	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	73.4	से खराब हो रही है.	4. (1) सोयाबीन समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बरघाट	105.2		(2) फसल बिगड़ी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरई	108.0				
4. केवलारी	31.0				
5. लखनादोन	76.0				
6. छपारा	81.4				
7. घनोरा	61.2				
8. घंसोर	36.0				
51. जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	70.8		4. (1) धान समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	34.4		(2) धान की फसल समान.	चारा पर्याप्त.	
3. किरनापुर	54.4				
4. बैहर	10.0				
5. वारासिवनी	88.5				
6. कटंगी	205.2				
7. लालबर्रा	80.0				
8. तिरोडी	. .				
9. परसवाड़ा	57.8				
10. बिरसा	47.4				
11. खैरलांजी	94.0				

टीप :- *जिला भिण्ड, दतिया, नीमच, बैतूल, कटनी, मण्डला से पत्रक अप्राप्त हैं.

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(341)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2018.